प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हुई

राज्य में बुधवार को 1702 नए संक्रमित मिले, इससे पहले मंगलवार को 1387 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 16 फरवरी। प्रदेश में बुधवार को थोड़ी और वृद्धि के बाद 1702 नए करोना संक्रमित मिले हैं। हालाकि इनकी तुलना में साढ़े तीन हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं इस बीमारी से 13 और लोगों की मौत हुई है।

राज्य में लगातार दूसरे दिन भी नए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बुधवार को 315 और मामले बढ़ने के साथ 1702 रोगी पाए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 1387 संक्रमित मिले थे। इधर राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में और वृद्धि हुई है। जिले में पिछले चौबीस घंटों में 454 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर में 156, जोधपुर में 151, अलवर में 94, बांसवाड़ा में 88, झुंझुनूं में 67, कोटा में 58, राजसमंद में 55, अजमेर में 50, बीकानेर में 47,

- **जयपुर में भी थोड़ी और वृद्धि के बाद 454 नए संक्रमित मिले हैं।**
- **राज्य में साढ़े तीन हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं।**
- **प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 13 और लोगों की मौत हो गई है।**

प्रतापगढ़ में 45, भीलवाड़ा में 41, सीकर में 36, पाली में 35, करौली में 34, नागौर में 33, भरतपुर में 31, झालावाड़ में 26, बारां में 25, टोंक में 9, दौसा में 8, श्रीगंगानगर में 6, बूंदी में 5, धौलपुर में 3 और जालोर में 2 नए संक्रमित मिले हैं।

इस बीच राज्य में 3569 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 12 लाख 44 हजार 384 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले कई दिनों से बेहतर रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 16 हजार 96 रह गए हैं। इनमें 4879 रोगियों का इलाज जयपुर जिले में चल रहा है।

राज्य में बुधवार को करोना से मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हुई है। इस दौरान 11 जिलों में 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बाड़मेर व सीकर में 2-2 और जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा नागौर में 1-1 संक्रमित की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 9494 लोगों की मौत हो चुकी है।

सी.बी.आई. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन एजेंसी को उन राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने एजेंसी की कार्यवाही के लिये दी गई आम सहमति/स्वीकृति वापस ले ली हैं तथा इस प्रकार के बैंक-फ्रॉड्स की जाँच राज्य की पुलिस को सौंप दी हैं।

अधिकारी ने कहा कि सी.बी.आई. के लिये, राज्यों की सीमा के अंदर किसी भी केस की जाँच के लिये राज्य सरकार की आम स्वीकृति (जनरल कन्सेंट) जरूरी होती है क्योंकि संविधान के तहत, पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

उन्होंने कहा कि यह गुजरात सरकार की स्वीकृति के फलस्वरूप ही संभव हुआ है कि सी.बी.आई. पूरी मुस्तैदी के साथ ए.बी.जी. शिपयार्ड लिमिटेड के उस फ्रॉड की जाँच को आगे बढ़ा रही है, जो एस.बी.आई. सहित, 28 बैंकों के समूह, जिनका नेतृत्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कर रहा है, के साथ किया गया है। कम्पनी को 30 जुलाई, 2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया था, तथा इस घोषणा को 30 नवम्बर 2013 से लागू कर दिया गया था।

बॉलीवुड के फेमस संगीतकार एवं गायक बप्पी दा का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वे पिछले एक वर्ष से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओ.एस.ए.) की बीमारी से जूझ रहे थे और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में कुछ सुधार के बाद डॉक्टर्स ने 15 फरवरी को उन्हें घर भेज दिया गया था लेकिन रात में अचानक दोबारा तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार रात 11 बजकर 45 मिनट पर 69 वर्षीय संगीतकार इस दुनिया को अलविदा कह गये। बप्पी दा के नाम से मशहूर, संगीतकार एवं गायक का वास्तविक नाम अलोकेश लाहिरी था। उनका जन्म सन् 1952 में जलपाईगुड़ी में, गायकों के परिवार, अपरेश लाहिरी और बांसुरी लाहिरी के घर में हुआ था। सन् 2018 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमैंट पुरस्कार से नवाज़े गए बप्पी लहिरी ने 1974 में, बंगाली फिल्म दादू में गायक के रूप में अपने करियर की शुरूआत की थी। बॉलीवुड में डिस्को म्यूज़िक का रंग घोलने का श्रेय बप्पी लाहिरी को ही जाता है। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में, चलते चलते, डिस्को डांसर, नमक हलाल और शराबी जैसी कई फिल्मों में बेहद लोकप्रिय संगीत दिया। बॉलीवुड फिल्मों के लिए आखिरी गीत उन्होंने 2020 में आई फिल्म बागी-3 के लिए कम्पोज़ किया था।

सुप्रीम कोर्ट न्यायिक ट्रिब्युनल्स में रिक्त पदों के मामले में सख्त नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, नौकरशाही इस मामले को हल्के में ले रही है, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रिब्यूनल में खाली पड़े पदों की भर्ती को लेकर हो रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि नौकरशाही मामले को हल्के में ले रही है और पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिब्यूनल में काफी पद खाली हैं जिनमें से कुछ ही पदों पर भर्तियां हुई हैं।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ, जो देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में खाली पदों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, ने कहा कि शुरू में कुछ नियुक्तियां की गई और उसके बाद आगे कुछ खास नहीं किया गया। पीठ ने बताया कि, हमें कुछ याचिकाएं मिली हैं, जिनमें एन.सी.एल.टी. (नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के सदस्यों के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं, ट्रिब्यूनल में काफी कम नियुक्तियां हुई हैं और उसके बाद इस मामले में कुछ नहीं किया गया। कई सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फिर भी नौकरशाही इसे मुद्दे को हल्के में ले रही है।

अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, जो रिक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने में पीठ की सहायता कर रहे हैं, ने रिक्तियों की सूची और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों को दिखाने का प्रयास किया।

पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत केंद्र से उन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने के लिए कह रही है जो पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं।

अज्ञात वाहन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में ले लिया और सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क ले गई जहां उसका पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार किया गया। मृत पैंथर नर है तथा उसकी उम्र आठ वर्ष के करीब बताई गई है। देबारी जिंक चौराहे के समीप बीते तीन माह में यह तीसरी घटना है जिसमें वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हुई है।

कोविड की भांति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं देनी चाहिये, जैसे- नफरत और आक्रामकता के द्विपक्षीय कार्यक्रमों को मदद करना।''उन्होंने भारत को यू.एन. की उन कोशिशों का विरोध करने के लिये चुनौती भी दी, जो भारत में मुस्लिमों पर हो रहे आतंकी हमलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिये की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया को मुख्यधारा का अंग न बनाया जाये।

नये...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

9 साल तक के बच्चों को साथ ले जाने के लिये मोटर साइकिल चलाने वाले के लिये ये सुरक्षा-उपाय इसलिये अनिवार्य किये गये हैं क्योंकि सेफ्टी हार्नेस के उपयोग से बच्चा, ड्राइवर से सटा हुआ रहेगा। सेफ्टी एक ऐसी ''एडजस्टेबल'' पोशाक होगी, जिसे बच्चा पहनेगा तथा जिसके कंधे पर लगी हुई बैल्ट मोटर साइकिल चालक पहनेगा, जिससे बच्चे का धड़ पूरी तरह सुरक्षित रूप से ड्राइवर के साथ सटा हुआ रहेगा, चिपटा रहेगा।

अधिसूचना में उदाहरण के लिये सेफ्टी हार्नेस की तस्वीर तथा उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में अनाधिकृत प्रवेश की चेष्टा

डोभाल के घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के राजधानी दिल्ली स्थित आवास में बुधवार को जबरन घुसने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

अजीत डोभाल को जैड प्लस कैटिगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूछताछ में शख्स ने दावा किया कि किसी ने उसके शरीर में चिप लगा रखी है और उसे कंट्रोल कर रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। वह कौन है और एन.एस.ए. के घर में किस मंशा से घुस रहा था, यह जानने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,

- **मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में युवक ने दावा किया कि, किसी ने उसके शरीर में चिप लगा रखी है और उसे कंट्रोल किया जा रहा है।**
- **अजीत डोभाल दिल्ली के बेहद हाई सिक्युरिटी वाले इलाके लुटियंस जोन के 5 जनपथ बंगले में रहते हैं। डोभाल के बंगले के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बंगला है।**

डोभाल के आवास में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा यह शख्स बहकी-बहकी बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि उसे अजीत डोभाल से मिलना है। उसकी समस्या वही सुलझा सकते हैं। शुरुआती जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान लग रहा है। वह किराए की कार चला रहा था। अजित डोभाल दिल्ली के बेहद हाई सिक्यॉरिटी वाले इलाके लुटियंस जोन के 5 जनपथ बंगले में रहते हैं। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इस बंगले में रहते थे। डोभाल के बंगले के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बंगला है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल का करियर बतौर आई.पी.एस. ऑफिसर शुरू हुआ था। देश के भीतर दुश्मनों से निपटने के साथ-साथ विदेश में, खासतौर पर पाकिस्तान में डोभाल ने अपने काम से अलग छाप छोड़ी है। 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर भेजा गया था। करीब एक दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया।

भाजपा, पहले. ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे आये थे या फिर उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिये थे। दरअसल, उस समय जहाँ भाजपा की हिन्दुत्व की अपील तथा प्रधानमंत्री का विकास का एजेंडा- दोनों ही मिलकर काफी प्रभावी रूप से आ गये थे, वहीं अखिलेश यादव पारिवारिक अनबन के संकट से जूझते दिखाई दे रहे थे। जहाँ भाजपा की हिन्दुत्व की अपील इस बार उतनी कारगर नहीं हो रही है, वहीं अखिलेश भी अपने विशिष्ट तरीके से, एक नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल हो गये हैं। ज़मीनी रिपोर्टों के अनुसार, यादव मतदाता यह महसूस कर रहे हैं कि केवल सपा की जीत ही उनके समुदाय को राजनैतिक महत्व प्रदान कर सकती है। पिछले वर्षों में, यादवों के उत्पीड़न के बहुत से प्रकरण सामने आये हैं, तथा इस समुदाय के मन में यह बात भी घर कर चुकी है कि उन्हें सरकारी नौकरियों, खासतौर से पुलिस विभाग में, आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व, पदोन्नति तथा पदस्थापन नहीं मिल रहे हैं।

यौन शोषण मामले में प्रिंस एंड्रयू समझौते के तौर पर 1.6 करोड़ डॉलर देंगे

ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती वर्जीनिया गिफ्रे के साथ ''आउट ऑफ कोर्ट'' सैटलमैंट किया

लंदन, 16 फरवरी (वार्ता/स्पूतनिक)। यौन शोषण मामले में फंसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू न्यायालय के बाहर पीड़ित पक्ष हुए एक समझौते में 1.6 करोड डॉलर देने को तैयार हो गये हैं। मीडिया में शाही परिवार से जुड़े स्त्रोतों के हवाले से बुधवार को आई रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी।

प्रिंस एंड्रयू ने वर्जीनिया गिफ्रे के साथ न्यायालय के बाहर एक समझौता किया, गिफ्रे ने प्रिंस पर उनके साथ 17 साल की उम्र में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उम्मीद है कि दोनों पक्षों 30 दिनों के भीतर इस मामले को सुलझा लेंगे। इसके अलावा प्रिंस एंड्रयू हिंसा से पीड़ितों की सहायता के लिए एक संस्था को पर्याप्त राशि का भुगतान करेंगे। स्थानीय अखबार मिरर न्यूजपेपर के अनुसार, इसमें से सिर्फ दो मिलियन पाउंड ही संस्था को दिया जाएगा तथा बाकी के 10 मिलियन पाउंड (16 मिलियन डॉलर) गिफ्रे को व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे।

- **वर्जीनिया गिफ्रे ने प्रिंस पर उनके साथ 17 साल की उम्र में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।**
- **एग्रीमैंट के अनुसार इस राशि में से दो मिलियन पाउंड ही एक समाजसेवी संस्था को दिया जाएंगे तथा बाकी के 10 मिलियन पाउंड (16 मिलियन डॉलर) गिफ्रे को व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे।**

अखबार ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स ने मामले को निपटाने के लिए प्रिंस एंड्रयू पर काफी दबाव डाला ताकि महारानी की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर इस विवाद का कोई असर न हो। इस समझौते के बावजूद, प्रिंस एंड्रयू अभी भी कथित तौर पर खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में लौटने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रिंस एंड्रयू पर 38 वर्षीय गिफ्रे और उनके वकील ने कथित तौर पर उसके साथ 17 साल की उम्र में यौन शोषण करने पर आरोप लगाया था। गिफ्रे एक अमेरिकी-ऑस्ट्रेलियाई कार्यकर्ता है।

यू.ए.ई के शेख से वर्चुअल मीटिंग करेंगे प्र.मंत्री मोदी

नई दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के उत्तराधिकारी शहजादे तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नह्यान के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 18 फरवरी को भारत-यूएई शिखर वार्ता करेंगे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दोनों नेता इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक और मित्रवत संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

भारत-यूएई कि शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि भारत में आजादी का अमृत महोत्सव और यूएई की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

आधार कार्ड कोई कवच...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तहत लाभार्थी को चिन्हित करने और उसका सही और प्रमाणित डेटा पी.एम.- किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। यह जानकारी कृषि मंत्रालय ने 11 फरवरी 2022 को राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी थी।

पी.एम. किसान लाथार्थियों की लिस्ट की एक अन्य अनियमितता गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से मिली है यहां आयकर दाता लाभार्थी किसानों की संख्या पात्र किसानों की संख्या से अधिक है।

योजना में स्पष्ट कहा गया है कि वे परिवार अपात्र हैं जिनके परिवार के सदस्य वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर हो या रहे हो, केंद्र व राज्य सरकार के वर्तमान या भूतपूर्व मंत्री, संसद के वर्तमान या पूर्व सदस्य, विधानसभा या विधानपरिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगम के वर्तमान या भूतपूर्व मेयर, जिला पंचायत; केंद्र व राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी केंद्र व राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के या सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, इसमें चतुर्थ श्रेणी के और ग्रुप डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं; दस हजार रू. या उससे अधिक की पैशन पाने वाले, इसमें चतुर्थ श्रेणी व ग्रुप डी के कर्मचारी शामिल नहीं है; वे सभी व्यक्ति जिन्होंने गत वित्त वर्ष में आयकर अदा किया है; डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउण्टैंट, आर्किटैक्ट, जो प्रोफेशनल संस्थाओं द्वारा अधिसूचित है और काम कर रहे हैं; अपात्र हैं।

'आपने सशस्त्र बलों की पैंशन बढ़ोतरी के मामले में सिर्फ ''गुलाबी तस्वीर'' पेश की'

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वन रैंक वन पैंशन (ओ.आर.ओ.पी.) यानी की समान पद समान पैंशन नीति का केंद्र द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर बखान किया गया और सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को वास्तव में दिये गये लाभ की तुलना में कहीं अधिक ''गुलाबी तस्वीर'' पेश की गई है। न्यायालय ने केंद्र से यह बताने को कहा है कि सशस्त्र बलों में कितने कर्मियों को 'फोडीफाइड एश्योर्ड करियर प्रोगेशन (एम.ए.सी.पी.) मिला है, कितने कर्मी एश्योर्ड करियर प्रोगरेशन (ए.सी.पी.) में हैं और यदि न्यायालय ओ.आर.ओ.पी. में एम.ए.सी.पी. को भी शामिल करने को कहे तो वित्तीय आवंटन कितना होगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एन. वेंकटरमण से कुछ सवाल किये। पीठ ने जानना चाहा कि क्या 17 फरवरी 2014 को संसद में किये गये वादे से पहले ऐसी कोई नीति थी कि सरकार ओ.आर.ओ.पी. प्रदान करने के लिए

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सशस्त्र बलों को पैंशन वृद्धि का उतना लाभ नहीं मिला, जितना सरकार ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया**
- **सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सशस्त्र बलों के लिए 'वन रैंक वन पैंशन' मामले में सुनवाई करते हुये केन्द्र सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की।**
- **सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को करेगा।**

है। आपके (केंद्र के) द्वारा ओ.आर.ओ.पी. नीति का बढ़ा-चढ़ा कर बखान सैद्धांतिक रूप से राजी है। न्यायालय ने कहा, ''हमे इस तथ्य पर गौर करना होगा कि ओ.आर.ओ.पी. की कोई सांविधिक परिभाषा नहीं है।

यह एक नीतिगत फैसला है। उनकी (याचिकाकर्ताओं की) यह दलील है कि संसद में जो कुछ कहा गया था और नीति के बीच विसंगति है। सवाल यह है कि क्या यह अनुच्छेद 14 का हनन करता किये जाने ने, याचिकाकर्ताओं को वास्तव में मिले लाभ की तुलना में कहीं अधिक गुलाबी तस्वीर पेश की है।''

शादी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी जब उसकी सास की मृत्यु हो गई थी पर तब भी वह वहां एक ही दिन रही थी।

दुर्लभजी अस्पताल की प्रमुख सुमेधा दुर्लभजी का निधन

2003 में ढाई करोड़ के लिए हुआ था अपहरण

- प्रकाश भण्डारी -

जयपुर, 16 फरवरी। गुलाबी शहर के रत्न व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठित दुर्लभजी परिवार की बहू तथा सन्तोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल (एस.डी.एम. एच.) की संचालक संस्था है, की चेयरपर्सन सुमेधा दुर्लभजी का आज यहां 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह अपने पीछे पुत्र मेहुल और पुत्री टीना बाफना के साथ भरा-पूरा परिवार छोड़ गईं।

रश्मिकांत दुर्लभजी की पत्नी और पद्मश्री खेलशंकर दुर्लभजी की पुत्रवधू सुमेधा जी के निधन से शहर के रत्न व्यापार और संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में शोक छा गया। सुमेधाजी खेलशंकर दुर्लभ जी आवेदना आश्रम की भी चेयरपर्सन थी। आवेदना आश्रम वृद्ध, असहाय बेसहारा, निर्धन और दुर्बल लोगों की आश्रय स्थली है, जहाँ उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है।

आवेदना आश्रम जयपुर शहर की प्रतिष्ठित संस्था है जिसकी स्थापना रश्मिकांत दुर्लभजी ने मानव कल्याण के लिए की थी और उनके बाद सुमेधाजी ने उसे पूरी तन्मयता से विकसित किया और संभाला। अपने पति की मृत्यु के पश्चात आवेदना आश्रम का सारा खर्च सुमेधा जी सहर्ष उठा रही थीं। उनके निधन से आवेदना आश्रम को अपूरणीय क्षति हुई है।

सुमेधा दुर्लभजी सरल, शांत और करुणामयी महिला के रूप में जानी जाती थीं और वह बेहद सादगी का जीवन जी रही सुमेधा जी अपना अधिकांश समय अस्पताल और आश्रम को देती थीं।

सुमेधा दुर्लभजी का 6 फरवरी 2003 को बिहार के युवकों ने उस समय अपहरण कर लिया था जब वह राजस्थान विश्वविद्यालय के खुले क्षेत्र में प्रात: टहलने के लिए गई थीं।

पूरे विश्व में ''एमरल्ड किंग'' के नाम से जाने वाले दुर्लभजी परिवार की इस बहू का सात लोगों ने अपहरण किया और उनके पति स्वर्गीय रश्मिकांत से ढाई करोड़ की फिरौती मांगी।

अपहरण में लिप्त लोग सुमेधा को दिल्ली के नम्बर वाली मारूति एस्टीम कार में जबर्दस्ती धकेल कर दिल्ली ले गए। अपहरणकर्ताओं का प्रमुख बिहार का अजय कुमार सिंह था जिसने 1991 में छतरा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था पर 12 हजार मतों से हार गया था। माना जाता था कि वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के करीबी था। राजनीति में असफल होने के बाद वह अपराध जगत में लिप्त हो गया और अपना गैंग बनाकर अपराध करने लगा था। इसी अपराध के क्रम में जयपुर आकर अपने साथियों राजीव रंजन, अभय सिंह, अनिल कुमार, प्रमोद प्रताप, राजू कुमार सिंह और उमेश कुमार के साथ मिलकर सुमेधा का अपहरण किया। अपहरण के दिन केवल चार लोग ही शामिल थे और बंदूक की नोक पर अकेले टहल रही सुमेधा को जबर्दस्ती कार से दिल्ली ले गए। इस अपहरण में काम ली गई एक कार वे बनीपार्क में एक स्थान पर छोड़ गए। सुमेधा को फरीदाबाद के 19 सैक्टर के एक मकान में पहले रखा गया।

सुमेधा दुर्लभजी

इस पूरे मामले में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार की पुलिस तत्पर होकर जाँच में जुट गई। जाँच दल का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अजित सिंह शेखावत कर रहे थे। अपहरण के बाद दो दिनों तक सुमेधा ने कुछ भी नहीं खाया था और वह डरी और सहमी हुई थी। अपहरणकर्ता विभिन्न नम्बरों से दुर्लभजी परिवार से सम्पर्क कर फिरौती मांग रहे थे। एक छोटे से कमरे में जिसमें हवा और पानी की सुविधा नहीं थी में एक पखवाड़े तक सुमेधा जी को बंधक बनाए रखा गया। वह केवल फल और फलों का रस तथा कॉफी आदि पर आश्रित थी। उन्हें समाचार पत्र आदि नहीं दिए जाते थे। हालांकि टी.वी. की सुविधा थी। इन्हें बसंत कुंज के फ्लैट में भी रखा गया था। राजस्थान और विशेषकर दिल्ली पुलिस ने गहन अभियान चलाकर जिसका नेतृत्व ए.सी.पी. रविशंकर कर रहे थे। मोबाइल फोन की लोकेशन को तलाशते हुए वह स्थान ढूंढ निकाला जहां सुमेधा जी को रखा गया था। अचानक छापा मारकर पुलिस ने उस घर में प्रवेश किया और वहां पहरा दे रहे तीन लोगों को दबोच कर पूरे 21 दिन बाद सुमेधा को आज़ाद कराया। जयपुर के एक न्यायालय ने इस अपहरण के लिए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और चार लोगों को अपराध में सीधे लिप्त नहीं पाया।

सभी अपराधी जयपुर सैन्ट्रल जेल में सजा काट रहे हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908